न्यायालय मान.राजस्व मण्डल म.प्र.ग्वालियर

प्र.क. निगरानी/टीकमगढ़/2017/
निगरानी – 3631/2018/ टीकमगढ़/भू.रा

श्री ओ.पी. नायक एड. द्वारा आज दि० 13-6-18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क दिनांक 21-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

नोरबेरतुस लकड़ा पुत्र स्व. ए.लकड़ा
ग्राम जामचुआ तहसील कुनकुरी
जिला जशपुर छत्तीसगढ़ हाल निवास
टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1-मध्य प्रदेश शासन ---अनावेदक
2- ग्वासी पुत्र पुनुवा सौर, निवासी ग्राम उत्तमपुरा तहसील टीकमगढ़ जिला टीकमगढ़

(निगरानी अंतर्गत धारा 50 – म0प्र0 भू राज. संहिता, 1959– श्रीमान अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक 317/17–18 अपील में पारित आदेश दि. 9–5–18 के विरूद्ध)

महोदय,

निगरानी के संक्षिप्त कारण

आवेदक ग्राम उत्तमपुरा तहसील टीकमगढ़ की आराजी क्रमांक 154/4/2 रकबा 1.618 हैक्टर का भूमिस्वामी है। यह भूमि आवेदक ने रिकार्डेड भूमिस्वामी लक्ष्मण, ग्वासी पुत्रगण पुनुवा सौर से पॅजीकृत विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की है। आवेदक ने क्रय भूमि के सीमांकन का आवेदन राजस्व निरीक्षक टीकमगढ़ को प्रस्तुत किया, जिसे प्रकरण कमांक 68 अ 12/16–17 में पारित आदेश दिनांक 29–5–17 से इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि पहले भूमि का नक्शा तरमीम कराये। प्रदर्स–1

यह कि आवेदक ने तहसीलदार टीकमगढ़ को आवेदन प्रस्तुत कर नक्शा तरमीम की प्रार्थना की, जिस पर तहसीलदार टीकमगढ़ ने प्र.क. 17 अ–3/16–17 पॅजीबद्ध किया तथा राजस्व निरीक्षक से नक्शा तरमीम प्रस्ताव मांगे। हलका पटवारी ने पॅजीकृत विक्रय पत्र में वर्णित चतुर्दिशा के विपरीत नक्शा तरमीम प्रस्ताव राजस्व निरीक्षक को दिये, जिसे रा0निरी0 ने तहसीलदार को प्रस्तुत कर दिया, तहसीलदार टीकमगढ़ ने आदेश दिनांक 9–1–17 पारित करके गलत नक्शा तरमीम प्रस्ताव को मन्जूर कर लिया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 282/16–17 अपील में

(2)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3631/2018/टीकमगढ़/भू.रा. नोरबेरतुस विरूद्ध शासन व ग्यासी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-07-2018	आवेदक की ओर से श्री जी.पी. नायक, अभिभाषक उपस्थित । अनावेदक शासन की ओर से श्री राजेश पाठक, अभिभाषक उपस्थित । उभय पक्ष द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09-05-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त के द्वारा पारित आदेश निम्नानुसार है । " मेरे द्वारा दोंनो अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन करने पर पाया गया कि, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अभिलेख के आधार पर बोलते हुये आदेश पारित किये गये है । जिनमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप करने की आवश्यकता न होने से अपील निरस्त करने योग्य है । उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है ।" अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 4.7.18	